ऑनलाइन साक्षात्कार पत्र के निर्देशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन कर व उन्हें भली–भांति समझने के पश्चात आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का प्रिंट निकालकर आवश्यक जानकारियों की प्रविष्टि कर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।

Azadi Ka Amrit Mahotsav

प्राविधिक–पत्र विज्ञापन की शर्तों के अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 0771–2439562, फैक्स 0771–2331525, 2446556 वेबसाइट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 369 / 24 / चयन / 2023 दिनांक 22-12-2023

<u>साक्षात्कार–पत्र</u>

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2022
(विधि एवं विधायी कार्य विभाग)

महोदय / महोदया,

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2022 (विधि एवं विधायी कार्य विभाग) के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली **प्रथम पाली**–पूर्वान्ह 10.00 बजे से 01.00 बजे तक तथा **द्वितीय पाली**– अपरान्ह 02.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जायेगा। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार में प्रथम पाली पूर्वान्ह 9.30 बजे तथा द्वितीय पाली अपरान्ह 01.30 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यथियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. साक्षात्कार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि / समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति देवें।

2.1 सफलतापूर्वक ऑनलॉइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन–पत्र (02 प्रति में) **(दोनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।)** (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण / गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकती है।

2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (दोनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। **(अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा)** अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी दो मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2.3 **व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2022 (विधि एवं विधायी कार्य विभाग)** के पद के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 29 / 2022 / परीक्षा / दिनांक 08.12.2022 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 14.12.2022, शुद्धि पत्र क्र. 18 / 2022 / परीक्षा / दिनांक 09.12.2022 एवं शुद्धि पत्र क्र. 01 / 2023 / परीक्षा / दिनांक 08.05.2023 **के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता– <u>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होना चाहिए</u>। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा / सेमेस्टर की परीक्षा) दस्तावेज आयोग द्वारा समय–समय पर जारी शुद्धि पत्र एवं सूचना पत्रों में दर्शित अंतिम तिथि तक का मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची / उपाधि / प्रमाण पत्र / नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें। इस संबंध में अंकसूची / उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।**

2.4 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो गैर क्रीमीलेयर की श्रेणी में आते हैं उन्हें साक्षात्कार दिनांक के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.5 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

2.6 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

2.7 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.8 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.9 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.10 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत् या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अस्थिबाधित निःशक्तजन (**OL, OA, OAL, BL**) ही मान्य होंगे।

2.11 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.12 आपके द्वारा **व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2022 (विधि एवं विधायी कार्य विभाग)** के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआऊट) की प्रति के साथ–साथ पहचान–पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं एक छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. **यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता हैं) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।**

4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के केवल बेरोजगार **अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।**

5. विशेष टीप :– उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जॉच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीद्‌वारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

6.1 **साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो विज्ञापन अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।**

6.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षो के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।

6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।

6.4 विज्ञापन की कंडिका 5 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2023 से की जायेगी।

6.5 दस्तावेज सत्यापन के समय **व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2022 (विधि एवं विधायी कार्य विभाग)** के लिए ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति जमा करना अनिवार्य है।

6.6 सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ एवं एक सेट छायाप्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6.7 नोवेल कोराना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हेंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हेंड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित)

22.12.2023
परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर

दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार समय–सारिणी
व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2022

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:00 बजे)	द्वितीय पाली (दोपहर 2:00 बजे)
01-01-2024	02-01-2024	2229100062	2229101222
		2229100070	2229101312
		2229100087	2229101490
		2229100407	2229102396
		2229100601	2229102424
		2229100874	2229102516
		2229100950	2229102574
		2229100989	2229102784
		2229100994	2229102862
		2229101176	2229103116
		2229101177	
02-01-2024	03-01-2024	2229103507	2229105351
		2229103561	2229105413
		2229104075	2229105462
		2229104162	2229105485
		2229104300	2229105784
		2229104522	2229105935
		2229104766	2229105952
		2229104948	2229105966
		2229105050	2229106322
		2229105118	2229106615
		2229105329	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर

दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार समय–सारिणी
व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2022

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:00 बजे)	द्वितीय पाली (दोपहर 2:00 बजे)
03-01-2024	04-01-2024	2229106778	2229107639
		2229106890	2229107898
		2229107063	2229108098
		2229107082	2229108152
		2229107217	2229108233
		2229107271	2229108279
		2229107464	2229108521
		2229107468	2229108657
		2229107534	2229108674
		2229107593	2229108774
04-01-2024	05-01-2024	2229108805	2229109729
		2229108869	2229109769
		2229108999	2229110210
		2229109037	2229110236
		2229109062	2229110389
		2229109162	2229110470
		2229109201	2229110832
		2229109285	2229111068
		2229109435	2229111658
		2229109693	2229112044

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर

दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार समय–सारिणी
व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2022

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:00 बजे)	द्वितीय पाली (दोपहर 2:00 बजे)
05-01-2024	08-01-2024	2229112335	2229114389
		2229112422	2229114486
		2229112856	2229114535
		2229113496	2229114654
		2229113572	2229114957
		2229113585	2229115155
		2229114017	2229115245
		2229114114	2229115496
		2229114147	2229115505
		2229114209	2229115618
08-01-2024	09-01-2024	2229115683	2229117981
		2229116061	2229118097
		2229116093	2229118259
		2229116321	2229118261
		2229116938	2229118544
		2229116988	2229119315
		2229117007	2229119350
		2229117025	2229119355
		2229117469	2229119545
		2229117737	2229119550

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर

दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार समय–सारिणी
व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2022

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:00 बजे)	द्वितीय पाली (दोपहर 2:00 बजे)
09-01-2024	10-01-2024	2229120247	2229122166
		2229120781	2229122214
		2229120796	2229122255
		2229120933	2229122580
		2229121002	2229122919
		2229121042	2229123094
		2229121099	2229123404
		2229121101	2229123594
		2229121585	2229123988
		2229121938	2229123990
10-01-2024	11-01-2024	2229124006	
		2229124340	
		2229124564	
		2229124891	
		2229124944	
		2229125149	
		2229125285	
		2229125323	
		2229125626	
		2229125627	

टीप :– आयोग द्वारा साक्षात्कार बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

22.12.2023
परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर